

मध्यप्रदेश शासन
प्रश्न सं. 1408
जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 21 /11/2019

कमांक एफ 5-69/2019/जस/24 मान0 जनसंपर्क मंत्री जी (श्री पी0सी0 शर्मा) द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2019 को विधानसभा में दिये गये उद्बोधन में सिंहस्थ - 2016 के आयोजन में जनसंपर्क विभाग एवं मध्यप्रदेश माध्यम के द्वारा किये गये कार्यों में हुई अनियमितता पहले 327 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे, बाद में 100 करोड़ रुपये और खर्च किए गए एवं इसका ऑडिट एक महीने में हो गया, की जांच करवाये जाने का आश्वासन दिया गया था।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा विधानसभा कार्यवाही दिनांक 23 जुलाई 2019 के अनुक्रम में सिंहस्थ - 2016 के आयोजन में जनसंपर्क विभाग एवं मध्यप्रदेश माध्यम के द्वारा किये गये कार्यों में हुई अनियमितता की जांच हेतु जांच समिति गठित की जाती है। इसमें 2 वरिष्ठ अधिकारी एवं 1 सहायक सदस्य होंगे जो निम्नानुसार है:-

क0	नाम	पदनाम	टिप्पणियाँ
1	श्री सुरेश गुप्ता	अपर संचालक	
2	डॉ0 एच0एल0 चौधरी	अपर संचालक	
3	श्री महेश दुदे	सहायक सूचना अधिकारी	बतौर सहायक सदस्य

3/ उक्त समिति 30 नवंबर 2019 तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 एच0एल0 चौधरी)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग


पृ0क0एफ 5-69/2019/जस/24

दिनांक 14 /11/2019

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, मान0 मंत्री जनसंपर्क विभाग भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समिति के संबंधित सदस्य :-

1. श्री सुरेश गुप्ता, अपर संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
2. श्री एच०एल० चौधरी, अपर संचालक, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल।
3. श्री महेश दुबे, सहायक सूचना अधिकारी, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
6. स्टाफ फाईल।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग